"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2006—आषाढ़ 23, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-24/2005/एक/2.—डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा. प्र. से. (2002) को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रु. 10650-325-15850) में पदोन्नत किया जाता है. डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के पद पर आगामी आदेश तक यथावत् पदस्थ रहेंगे. उन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक अर्थात् 19-5-2006 से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणू जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

क्रमांक ई-7/9/2004/1/2.—श्री व्ही. के. कपूर, भा.प्र.से., महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 10-7-2006 से 14-7-2006 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8, 9, 15 एवं 16 जुलाई, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक महानिदेशक, छ. ग. प्रशासन अकादमी एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कपूर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपूर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 4-4-2006 द्वारा श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन संपर्क विभाग को दिनांक 29-5-2006 से 16-6-2006 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 29-5-2006 से 15-6-2006 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-5-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. बिन्दु क्र. 2 को छोड़कर शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

क्रमांक ई-7/1/2004/1/2.—डॉ. बी. एल. तिवारी, भा.प्र.से., कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को दिनांक 21-6-2006 से 24-6-2006 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-6-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. तिवारी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. तिवारी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. तिवारी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. तिवारी, के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. जी. के. पिल्लई, अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जांजगीर-चांपा का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

क्रमांक ई-7/2/2006/1/2.—श्री एस. आर. ब्राम्हणे, भा. प्र. से., उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 19-6-2006 से 1-7-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18 जून, 2006 तथा दिनांक 2-7-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्राम्हणे, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ब्राम्हणे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ब्राम्हणे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2006

क्रमांक ई-7/31/2004/1/2.—श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26-6-2006 से 1-7-2006 (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 जून, 2006 तथा दिनांक 2-7-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पैकरा, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पैकरा, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पैकरा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2006

क्रमांक ई-7/3/2006/1/2.—श्री जे. मिंज, भा.प्र.से., उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-6-2006 से 1-7-2006 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 जून, 2006 तथा दिनांक 2 जुलाई, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक 192/सी-3554/2006/स्था./चार.—स्थानीय निवासियों की सुविधा की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में शासकीय जमा काउंटर खोला जाना है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखाओं को शासकीय संव्यवहार हेतु अधिकृत करता है :—

(1) भारतीय स्टेट बैंक शाखा, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा.
(2) भारतीय स्टेट बैंक शाखा, चिरमिरी, जिला कोरिया.
(3) भारतीय स्टेट बैंक शाखा, पंडरिया, जिला कबीरधाम.
(4) भारतीय स्टेट बैंक शाखा, कुनकुरी, जिला जशपुर.

Raipur, the 2nd March 2006

No. 192/C-3554/2006/Est./IV.—Government deposit counters have to be opened in the branches of State Bank of India with a view to facilitate the local residents. Hence, the State Government do hereby authorise government transaction with the following branches of State Bank of India :—

(1) State Bank of India branch, Champa, distt. Janjgir-Champa.
(2) State Bank of India branch, Chirmiri, distt. Koria.
(3) State Bank of India branch, Pandaria, distt. Kabirdham.
(4) State Bank of India branch, Kunkuri, distt. Jashpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2006

क्रमांक एफ 1-35/2004/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों में संशोधन हेतु पूर्व में ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-35/2004/13/1, रायपुर, दिनांक 20-4-2006 के पैरा दो की कंडिका दो व चार में परिभाषित आवास की सुविधा व देय यात्रा भत्ता से संबंधित अंशों को विलोपित कर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :—

कंडिका-2 आवास की सुविधा :— अध्यक्ष व सदस्य को आवास की सुविधा होगी जो राज्य में प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को प्राप्त शासकीय आवास की सुविधा के अनुरूप होगी.

कंडिका-4 देय यात्रा भत्ता :—अध्यक्ष व सदस्य को प्रदेश के अंदर व बाहर यात्रा हेतु या स्थानांतरण पर (जिसमें आयोग में नियुक्ति पर कार्यग्रहण तथा कार्य सत्राप्ति पर कार्यमुक्त होने की देशा में गृह नगर से की गई यात्रा सम्मिलित है) के दौरान उन सभी यात्रा भत्तों व दैनिक भत्तों व सामान को ले जाने हेतु किराया, या अन्य किसी समतुल्य विषयक भुगतान की पात्रता उसी दर व उसी मात्रा के अनुरूप होगी जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य में उपरोक्त विषयक भुगतान की पात्रता है. वे विदेश यात्रा आवश्यकतानुसार राज्य शासन/केन्द्र सरकार की सक्षम स्वीकृति पश्चात् कर सकेंगे.

अध्यक्ष व सदस्य के द्वारा राज्य के बाहर अथवा अंदर प्रवास के दौरान क्रमश: महानगरों यथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में होटल में रूकने के लिये रुपये 6500/- प्रतिदिन तथा अन्य शहरों हेतु रुपये 5500/- प्रतिदिन की सीमा तक के कमरों में रूकने की सुविधा हेतु पात्रता रहेगी तथा वास्तविक भुगतान के अनुसार यात्रा देयक में प्रतिपूर्ति दावा मान्य किया जायेगा.

पूर्व में दिनांक 20-4-2006 को जारी अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी तथा उपरोक्त संशोधन उक्त तिथि से प्रभावशील माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2006

क्रमांक/5096/1594/25-2 आजाकवि/2006.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक बी-1/4/2005/1/4 रायपुर दिनांक 14-2-2005 द्वारा श्रीमती कमरून्निसा खान (उपायुक्त, भू-अभिलेख) की सेवाएं सचिव, छत्तीसगढ़ हज कमेटी रायपुर के पद पर सौंपी गई थी. राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती कमरून्निसा खान की सेवाएं उनके मूल विभाग (राजस्व) को वापस करता है.

हज कमेटी के सचिव का प्रभार श्री साजिद मेमन, सहायक संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा जाता है. श्री साजिद मेमन अपने विभागीय कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, हज कमेटी का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमेगा युनाईस टोप्पो, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2006

क्रमांक एफ-20-95/04/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट क्रमांक-3 में पूर्व घोषित दस उद्योगों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस उद्योगों को भी विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों की सूची में सम्मिलित करता है :—

1. फ्लाई एश उद्योग (सीमेंट को छोड़कर)
2. रेडीमेट गारमेन्ट्स
3. सिंगल सुपर फास्फेट
4. कागज उद्योग
5. टेक्सटाईल (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फ्रेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)
6. 100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग
7. बायोडीजल उत्पादन
8. कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स फोफाईल्स एवं पाईप फिटिंग
9. वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
10. कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स

2. यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2006

क्रमांक एफ-9-28/दो/गृह/06.—उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 फरवरी, 2006 को "लेखा (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. मनीषा खरे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2006

क्रमांक/15/अ-82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कुहेरा प. ह. नं. 70/17	0.372	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़.	झांझ नवागांव जलाशय योजना के तहत नहर, नाली निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2006

प्रकरण क्रमांक 29 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	घोठा प. ह. नं. 4	4.825	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन मनियारी संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2006

प्रकरण क्रमांक 30 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सिरमी प. ह. नं. 4	1.312	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग मनियारी संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2006

क्रमांक 1/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गौरेला	4.576	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय शाखा नहर गौरेला-2, पतेराटोला उपशाखा नहर एवं सांवतपुर उपशाखा नहर.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2006

क्रमांक 1/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पतरकोनी	0.650	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय सारबहरा माइनर चैन क्र. 0 से 21 तक.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2006

प्र. क्र. 14 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-ओड़ियाकला, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.980 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/1	0.980
योग	0.980

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुख्य मार्ग से दैहान डीह तक सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4457/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आरगांव, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
300	0.25
301	0.09
307	0.07
308	0.52
310	0.84
313	0.21
314	0.50
315/3	0.05
315/4	0.04
योग 9	2.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 दायीं तट नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4458/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आलीखुंटा, प.ह.नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
41	0.30
42	0.10
43	0.03
44	0.40
27/1	0.03
27/2	0.40
27/3	0.39
27	0.10
23/1	0.21
23/2	0.05
योग 10	2.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 दायीं तट नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4459/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनीखुर्द, प.ह.नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.65 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
81/1	0.29
82/2	0.10
82/3	0.48
81/4	0.50
81/3	0.03
81/2	0.20
44/3	0.05
44/4	0.10
44/1	0.35
44/6	0.03
73/2	0.81
73/3	0.14
73/5	0.03
73/7	0.35
73/4	0.03
75/1	0.02
75/2	0.21
146/1	0.23
146/6	0.17
146/7	0.40
146/2	0.02
146/4	0.26
147	0.05
145/1	0.44
141/1	0.67
136/1	1.02
136/3	0.08
136/4	0.12
136/5	0.04
135/5	0.35
135/2	0.34
129	0.45
128/1	0.34
300/1+2	0.65
301	0.45
302	0.85
योग 36	10.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 के निर्माण में दायीं तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4460/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बुन्देला, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
9/1	0.30

(1)	(2)
9/2	0.35
9/4	0.28
9/5	0.28
113/1	0.03
113/2	0.50
112/2	0.30
112/1	0.10
111	0.35
114/2	0.04
114/1	0.08
115/6	0.07
116/1	0.20
116/2	0.20
127/2	0.30
123/2	0.18
124	0.10
125	0.20
126/2	0.62
117/2	0.14
117/3	0.11
127/1	0.82
योग 22	5.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 के निर्माण में दायीं तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4465/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घुघरी टोला, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.30 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
27	0.30
28/1	2.00
योग	2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- साल्हेवारा जलाशय अंतर्गत मुख्य बायीं तट नहर नाली.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4466/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डोंकराभांठा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.99 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
34	0.37

(1)	(2)
40/1	0.11
38	1.32
121/3	0.40
40/2	0.17
436	0.62
योग	2.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोंकराभांठा जलाशय डुबान निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4461/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुडपार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.52 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1).	(2)
727	2.12
728	0.75
729.	0.42
730	0.53
735/1	0.80
733	0.55
731/3	0.35
योग 7	5.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 दायीं तट कार्य निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4462/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जामरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
654	0.45
642	0.07
661	0.20
660	0.17
659	0.17
658	0.05
679	0.45
655	0.20
656	0.12
719	1.20

(1)	(2)
727	0.18
729	1.83
784	0.10
785	0.23
742	0.03
786	0.22
787/1	0.24
788/2	0.08
826	0.03
825	0.03
789	0.85
790	0.03
791	0.20
804	0.15
792	0.10
805	0.10
809	0.14
810	0.10
811	0.15
808	0.05
745	0.03
746	0.04
758	0.04
योग 33	8.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 बायीं तट नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4463/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-आरवीरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
21/2	0.22
457/1	0.05
457/3	0.06
22/1	0.14
219/2	0.10
22/2	0.14
219/1	0.10
22/3	0.18
23	0.50
457/2	0.05
24	0.21
60	0.23
61	0.18
59/1	0.10
59/2	0.24
59/3	0.05
59/4	0.24
181/3	0.05
57	0.50
55/3	0.20
55/4	0.26
54/1	0.02
54/2	0.03
81/1	0.30
53	0.40
188	0.10
52/2	0.03
52/1	0.03
118	0.10
120	0.34
119	0.67
176	0.18
177	0.37

(1)	(2)
458	0.27
179	0.10
182	0.02
180	0.11
187/1	0.55
187/2	0.12
58/1	0.21
58/3	0.16
58/5	0.25
402/1	0.06
402/2	0.04
402/4	0.16
402/3	0.23
403/1	0.05
403/5	0.02
403/2	0.05
403/3	0.07
403/4	0.02
403/6	0.02
423/1	0.20
422/1	0.25
422/2	0.19
429/1	0.21
429/2	0.21
445	0.32
योग 58	10.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 बायीं तट नहर कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.564 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
161/9	0.024
351/1 च	0.540
योग	0.564

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-रजघटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302/1	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तिऊर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46	0.012
651/4	0.045
योग	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
632/2	0.081
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 1 जुलाई 2006

क्रमांक/109/भू-अर्जन/अ.वि.अ./13 अ/82/सन् 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-धरमपुर, प.ह.नं. 116

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
665	0.01
648	0.05
570	0.12
647	0.05
645	0.02
636	0.07
632	0.14
289	0.14
633	0.01
571	0.03
564	0.18
181	0.16
562	0.15
580	0.13
598	0.04
599	0.12
288	0.13
596	0.20
592	0.25
593	0.09
290	0.32
291	0.08
281	0.09
240	0.09
241	0.07
234	0.02
228	0.01
226	0.18
195	0.01
196	0.34
योग 30	3.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- धरमपुर जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th June 2006

No. 369/Confdl./2006/II-3-1/2006.—Shri Manoj Kumar Prajapati, IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur is, hereby, transferred and posted as Civil Judge Class-II, Katghora from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 28th June 2006

No. 371/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following candidate as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, is posted at and placed in the capacity as shown against his name in column No. (3) of the table below with a direction to join his place of posting positively within 15 days from the date of this Order :—

TABLE

S. No.	Name & address of newly appointed Civil Judge Class-II	Posted As & At
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Venseslas Toppo, C/o Shri William Tirkey, Near Jatia Talab, Om Nagar, Bilaspur—495001 (C. G.).	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur

Bilaspur, the 29th June 2006

No. 398/Confdl./2006/II-2-72/2001.—The original seniority of Smt. Nirmala Singh, Member of Higher Judicial Service and presently posted as II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, Restored by placing her name above the name of Smt. Shakuntala Das, Member of Higher Judicial Service and presently posted as I Additional Principal Judge, Family Court, Durg, in the gradation list of Judicial Officers holding Selection Grade Scale w. e. f. 12-05-1997 on notional basis.

Bilaspur, the 29th June 2006

No. 400/Confdl./2006/II-2-72/2001.—The original seniority of Shri M. K. Tiwari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Director Judicial Officers Training Institute, Bilaspur is hereby, Restored by placing his name below the name of Smt. Shakuntala Das, Member of Higher Judicial Service and presently posted as I Additional Principal Judge, Family Court, Durg and above the name of Shri T. P. Sharma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.

Bilaspur, the 29th June 2006

No. 407/Confdl./2006/II-2-2/2002.—The following Members of Higher Judicial Service holding Selection Grade Scale as specified in Column No. (2) are hereby granted Super Time Scale of Rs. 22850-500-24850 from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of grant of Super Time Scale (3)
1.	Smt. Nirmala Singh, II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.	11-10-2005
2.	Shri Mahendra Kumar Tiwari, Director, Judicial Officers' Training Institute, Bilaspur.	11-10-2005

The name of Smt. Nirmala Singh, II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is placed below the name of Shri Chandrabhushan Singh Patel, District and Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) and the name of Shri Mahendra Kumar Tiwari, Director, Judicial Officers' Training Institute, Bilaspur is placed below the name of Smt. Nirmala Singh in the Grandation list of District Judges (Super Time Scale) in Higher Judicial Service.

By order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.